कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर

क्रमांक एफ ( ) 2020–21/एफसीए/मुवसंभ/1464 दिनांक 07-03-21

निमित्त,

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी,
एफसीए, राजस्थान, जयपुर।

विषय :–Diversion of 0.2652 ha. Of forest land for Replacement of old pipe line by di pipe line malah hesd works to sewar fort and sewar fort to depot area, kanjoli lines at amn depot Bharatpur, District- Bharatpur (RAJ.) Online Proposal number - FP/RJ/WATER/43853/2020

संदर्भः–संयुक्त शासन सचिव, राजस्थान सरकार, वन विभाग का पत्रांक प. 1 (138)वन/2020 दिनांक 17 दिसम्बर, 2020 एवं आपका ऑनलाईन ई.डी.एस. दिनांक 01.02.2021 व उप वन संरक्षक, भरतपुर का पत्रांक 1407 दिनांक 06.03.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आलौच्य प्रत्यावर्तन प्रकरण में संयुक्त शासन सचिव, राजस्थान सरकार, वन विभाग के संदर्भित पत्र दिनांक 17 दिसम्बर, 2020 व आपके ऑनलाईन ई.डी.एस. दिनांक 01.02.2021 के क्रम में उप वन संरक्षक, भरतपुर द्वारा संदर्भित पत्र से आक्षेप पूर्ति उपरान्त प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रस्तुत किया है। प्रकरण में ESZ के उप वन संरक्षक, भरतपुर (वन्यजीव), केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर के पत्रांक एफ ( )विविध/उवसं/2021/एसपी–01 दिनांक 06.03.2021 (प्रति संलग्न) के द्वारा अपनी टिप्पणी निम्नानुसार प्रेषित की है :–

1. "इस प्रोजेक्ट को Environmental Clearance की आवश्यकता नहीं है और यह पाईप लाईन प्रोजेक्ट केवल ईको सेंसेटिव जोन में से होकर गुजर रही है, इसलिए Wildlife Clearance की भी आवश्यकता नहीं है।
2. ईको सेंसेटिव जोन में आने वाली गतिविधियां जिला स्तरीय समिति द्वारा ही Regulated की जाती हैं इनमें Wildlife Clearance की आवश्यकता नहीं होती है एवं केवल वे प्रोजेक्ट जिनको Environmental Clearance की आवश्यकता होती है और ऐसे प्रोजेक्ट अगर ईको सेंसेटिव जोन में आये तभी उनको Wildlife Clearance चाहिये होती है।

अतः उप वन संरक्षक, भरतपुर के संदर्भित पत्र दिनांक 06.03.2021 व उप वन संरक्षक, भरतपुर (वन्यजीव), केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर के पत्र दिनांक 06.03.2021 की प्रति संलग्न कर निवेदन है कि चूंकि प्रकरण जनहित में अण्डरग्राउण्ड पेयजल पाईप लाईन के सन्दर्भ में है, इसलिए प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी कराने का कष्ट करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(डॉ. सी.आर.मीणा)
मुख्य वन संरक्षक,
भरतपुर

उप वन संरक्षक, (वन्यजीव),भरतपुर

दिनांक– 06/03/21

क्रमांक एफ ( )विविध / उवस / 2021 / SP-01
निमित्त,

मुख्य वन संरक्षक,(वन्यजीव)एवं
क्षेत्र निदेशक रणथम्भौर,
बाघ परियोजना,सवाईमाधोपुर ।

विषयः– Diversion of 0.2652 ha of Forest land in favouf of Public Healh Engineering Department City Division Bharatpur for Replacement of old pipe line by DI Pipe line Malah Headworks to Sewar fort to Depol area, Kanjoli Lines at Amn depot Bharatpur, District- Bharatpur, Rajasthan.

सन्दर्भ–अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए, राजस्थान, जयपुर के ई मेल, मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर का पत्र क्रमांक 1190 दिनांक 26.02.2021 एवं उप वन संरक्षक, भरतपुर पत्र क्रमांक 1406 दिनांक 06.03.2021 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि सन्दर्भित पत्रों में इस कार्यालय से वांछित टिप्पणी/ अभिशंषा चाही गई है जो कि निम्न प्रकार है–

1. चूंकि इस प्रोजेक्ट को Environmental Clearance की आवश्यकता नहीं है और यह पाईप लाइन प्रोजेक्ट केवल ईको सेंसिटिव जोन (ESZ) में से होकर गुजर रही है। अतः इसे Wildlife Clearance की भी आवश्यकता नहीं है।
2. इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट किया जा रहा कि ईको सेंसिटिव जोन में आने वाली गतविधियां जिला स्तर कमेटी द्वारा ही रेगुलेट की जाती है इनमें Wildlife Clearance की भी आवश्यकता नहीं होती है। केवल वे प्रोजेक्ट जिनको Environmental Clearance की आवश्यकता होती है और ऐसे प्रोजेक्ट अगर ईको सेंसिटिव जोन में आये तभी उनको Wildlife Clearance चाहिये होती है।

अतः अधोहस्ताक्षरकर्ता की राय में इस प्रोजेक्ट को Wildlife Clearance नहीं चाहिये। फिर भी संदर्भित पत्रों के क्रम में दिये गये आदेशानुसार यह निवेदन है कि इस विषय में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक,राजस्थान जयपुर की टिप्पणी / अभिशंषा मांगी गई अतः इस पत्र ~~को~~ अग्रेषित कर यह टिप्पणी दिलवाने की कृपा करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

Mohit

उप वन संरक्षक,
(वन्यजीव),भरतपुर।

6/3

क्रमांक एफ ( )विविध / उवस / 2021 /

दिनांक– ___03.2021

प्रतिलिपि– निम्न सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक,राजस्थान जयपुर को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रतिलिपि अग्रेषित है।
2. मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर को उनके पत्र क्रमांक 1190 दिनांक 26.02.2021की पालनार्थ
3. उप वन संरक्षक, भरतपुर को उनके पत्र क्रमांक 1406 दिनांक 06.03.2021 के पालनार्थ।
4. अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, नगर खण्ड, भरतपुर को सूचनार्थ।

उप वन संरक्षक
(वन्यजीव),भरतपुर।

उप वन संरक्षक, भरतपुर

क्रमांक एफ ( )विविध/उवस/2021/ 1407 दिनांक–06.03.2021

निमित्त,

मुख्य वन संरक्षक,
भरतपुर।

विषय:– Divesion of 0.2652 ha of Forest land in favouf of Public Healh Engineering Department City Division Bharatpur for Replacement of old pipe line by DI Pipe line Malah Headworks to Sewar fort to Depol area, Kanjoli Lines at Amn depot Bharatpur, District- Bharatpur, Rajasthan.

सन्दर्भ:– मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर का पत्र क्रमांक 1190 दिनांक 26.02.2021, उप वन संरक्षक, (वन्यजीव) भरतपुर के पत्र क्रमांक पत्र.SP.1 दिनांक 06.03.2021 के क्रम मे।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि सन्दर्भित पत्र के द्वारा आलौच्य प्रत्यावर्तन प्रकरण के ऑनलाईन पार्ट।। में निम्नवत टिप्पणी/ अभिशंषा रिपार्ट इस कार्यालय से चाही गई है। अतः चाही गई सूचना के अनुसार उप वन संरक्षक,(वन्यजीव) भरतपुर के पत्र.SP.1 दिनांक 06.03.2021 के द्वारा पूर्ति कर इस कार्यालय को भिजवाया गया है जिसकी छाया प्रति संलग्न प्रेषित है। इसे Wildlife Clearance की भी आवश्यकता नहीं होने की बात कही है।

अतः इस प्रकरण की महत्वता को देखते हुए इसे उक्त प्रकरण को ऑनलाईन भी फारवर्ड किया जा रहा है, हालाकिं प्रधान मुख्य वन संरक्षक एव मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक,राजस्थान जयपुर की टिप्पणी के लिए उप वन संरक्षक,(वन्यजीव) भरतपुर द्वारा पत्र लिखा जा चुका है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय
Mohit
उप वन संरक्षक
भरतपुर।

FCA
9/3

क्रमांक एफ ( )विविध/उवस/2021/ 1408–09 दिनांक–06.03.2021

प्रतिलिपिः– निम्न सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित है।

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए, राजस्थान, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग, नगर खण्ड, भरतपुर को सूचनार्थ।

उप वन संरक्षक
भरतपुर।